सुरक्षा विनियम

निषिद्ध वस्तुएं

- यात्री केबिन में ड्राई सैल बैटरी, चाकू, कैंची, नुकीले उपकरण, औजार,फायर आर्म, गोला बारूद तथा इन आकारों में बने खिलौने ले जाने पर रोक है।
- खेलों के सामान जैसे क्रिकेट बेट्स, गोल्फ क्लबस्, स्की पोल्स, हॉकी स्टिक्स, पूल क्यूस आदि अथवा ऐसे सामान जिन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, को भारत के एयरपोर्ट से प्रचालित उड़ानों पर केबिन बैगेज के रूप में ले जाने की अनुमति नहीं है। इन सामानों को चैक-इन बैगेज के रूप में ले जा सकते हैं।
- चेक-इन बैगेज में पॉवर बैंक ले जाना सख्त मना है। इसे केबिन बैगेज में ले जा सकते हैं।
- बैगेज के रूप में ले जाई जा रही वस्तुओं के संबंध में कुछ देशों तथा गंतव्यों के अपने प्रतिबंध तथा अपेक्षाएं होती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि केवल उपर्युक्त नियमों तक सीमित न रहें व स्थानीय नियमों के अनुसार भी प्रतिबंधित वस्तुओं का वहन न करें। एयरपोर्ट पर किसी सामान के जब्त हो जाने पर, इसकी पूरी जिम्मेदारी यात्री की होगी।
- यात्री तथा क्रू दोनों के लिए उड़ान में अथवा विमान के आस-पास किसी भी समय इलैक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) अर्थात् ई-सिगरेट, निजी वेपाराइज़र, वापे पेन, ई-सिगार, ई-हुक्का अथवा सिगरेट पीने के उपकरणों का उपयोग करना वर्जित है। एअर इंडिया ऐसी किसी भी वस्तु के उपयोग की अनुमति नहीं देती है जिससे यह संकेत मिले कि उड़ान में धुम्रपान की अनुमति है। इन सामानों को गंतव्य पर उपयोग के लिए यात्री अपने केबिन बैगेज में ले जा सकते हैं बशर्ते ये सामान पूरे समय यात्री के केबिन बैगेज में रखे रहें और उड़ान में उनका उपयोग बिल्कुल न किया जाए।

****